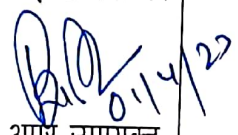


अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज
आर0एम0ए0 वाद संख्या:- 33/2011-12
देवा पहाड़िया वगैरह-बनाम-मैसा पहाड़िया वगैरह

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के वा टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
01.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी-देवा पहाड़िया, पिता-स्व0 भीमा पहाड़िया, ग्राम-गांगुपाड़ा, थाना-रांगा, जिला-साहेबगंज ने आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया है कि मौजा-गांगुपाड़ा में अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने प्रधानी नियुक्ति वाद सं0-07/2007-08, आदेश दिनांक-26.09.2007 द्वारा एक साथ 28 विभिन्न मौजा के प्रधान नियुक्ति संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत आदेश के क्रमांक-28 पर विपक्षी मैसा पहाड़िया, पिता-स्व0 छोटा बासु पहाड़िया, ग्राम-चपाण्डे, थाना-रांगा, जिला-साहेबगंज को प्रधान नियुक्त कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि बिगत कई वर्षों से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखक और संश्लेषक।  01/4/23  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	

अपर उपायुक्त,
साहेबगंज

न्यायालय अपर उपायुक्त, साहेबगंज का न्यायालय

R.M.A वाद सं० 33 / 11-12

अपीलार्थी / आवेदनक- देवा पहडिना रिता - मीमा पहा
शा.ग. 2112 पाडा शा.ग. 2112 पाडा

- बनाम -

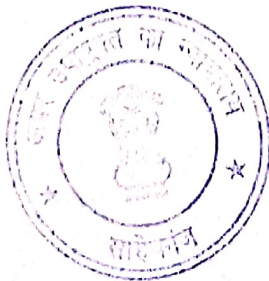
उत्तरवादी / विपक्ष-

मेला पहडिना रिता - 400 देवा
शा.ग. पहडिना शा.ग. पाडा
शा.ग. 2112 पाडा

बजरिये नोटिस से आपको आगाह किया जाता है कि उपरोक्त वाद उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय से सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अतएव उक्त वाद से संबंधित सभी साक्ष्यों के साथ आप स्वयं या आपके द्वारा प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दिनांक 27-02-2021 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें यह अन्तिम अवसर है। अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर ली जायेगी। इसे अतिआवश्यक समझें।

आज दिनांक 04-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर के साथ नोटिस निर्गत किया गया।



अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

4/02/2021

न्यायालय अपर उपायुक्त, साहेबगंज का न्यायालय

R.m.A वाद सं० 33 / 11-12

अपीलार्थी / आवेदनक- देवा पहडिमा रिता - म/मा पहा
शा.ग. गं.पहा. शा.ग. रोगा रि. लोहवा

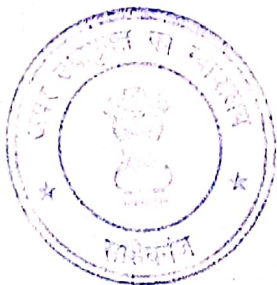
- बनाम -

उत्तरवादी / विपक्ष- मैला पहडिमा रिता - २०० दे/र
म/मा पहडिमा शा.ग. च/पहा. शा.ग.
रोगा रि. लोहवा

बजरिये नोटिस से आपको आगाह किया जाता है कि उपरोक्त वाद उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय से सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अतएव उक्त वाद से संबंधित सभी साक्ष्यों के साथ आप स्वयं या आपके द्वारा प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दिनांक ~~02-02-2021~~ ³¹⁻³⁻²¹ को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें यह अन्तिम अवसर है। अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर ली जायेगी। इसे अतिआवश्यक समझें।

आज दिनांक ~~08-01-2021~~ ^{04/02/2021} को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर के साथ नोटिस निर्गत किया गया।



अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

[Signature]
04/02/2021

न्यायालय अपर उपायुक्त, साहेबगंज का न्यायालय

R-107. A वाद सं० 33 / 11-12

अपीलार्थी / आवेदनक- देवा पंडिता रिता - म/मा पहा
शा.ग. 21123 पहा शा.ग. रि. 0 दोहर्वा

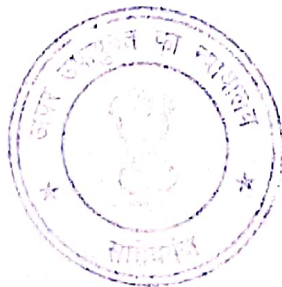
- बनाम -

उत्तरवादी / विपक्ष- मेला पंडिता रिता - 2000 दे/र
का.पु. पंडिता शा.ग. या.प.दे 211
शा.ग. रि. 0 दोहर्वा

बजरिये नोटिस से आपको आगाह किया जाता है कि उपरोक्त वाद उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय से सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अतएव उक्त वाद से संबंधित सभी साक्ष्यों के साथ आप स्वयं या आपके द्वारा प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दिनांक ~~22-02-2021~~ 31-3-21 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें यह अन्तिम अवसर है। अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर ली जायेगी। इसे अतिआवश्यक समझें।

आज दिनांक ~~08-01-2021~~ 04/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर के साथ नोटिस निर्गत किया गया।



अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

04/02/2021
04/02/2021